इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2018—अग्रहायण 9, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018

क्र. एफ 5-12-2014-एक (1).—उच्च न्यायालय न्याधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2018 तक, पांच दिन के आकस्मिक अवकाश एवं पूर्ववर्ती दिनांक 18 से 21 अक्टूबर 2018 तक के तथा पश्चात्वर्ती दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-ईएसटीटी (एक), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल. टी. सी. एवं दस दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित, अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जाए. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्र. एफ-1 (ए) 26-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, भोपाल , मध्यप्रदेश को दिनांक 30 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिवस

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, ए. टी. एस., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार भोपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधन

क्र. एफ 1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. पुमु-1-भापुसे-1-1040-2018, दिनांक 15 अक्टूबर 2018 द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 18 सितम्बर 2018 तक 30 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

संशोधन

क्र. एफ 1(ए) 119-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2018 को निरस्त करते हुए, श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को खण्ड वर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरी फार्वड करते हुए) परिवार सहित कन्याकुमारी (तमिलनाडू) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 दिसम्बर 2018 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री आर. के. अरुसिया — स्वयं
2. श्रीमती मंजु अरुसिया — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018

क्र. एफ. 1 (बी) 09-15-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 05735-1859-I-iv, दिनांक 24 दिसम्बर 1962 में निहित प्रावधानों के तहत् राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के विवाह उपरांत केवल शासकीय सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु, जिसमें कोई अन्य दावा प्रमाणित एवं प्रभावित नहीं होगा, की शर्त पर नाम परिवर्तन की अनुमति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में अंकित अनुसार प्रदान की जाती है :—

स. क्र.	अधिकारी का वर्तमान नाम	विवाहोपरांत परिवर्तित नाम
(1)	(2)	(3)
1.	सुश्री नीति सोनवे	श्रीमती नीति राजेश डण्डोतिया
2.	श्रीमती बिट्टू शर्मा	श्रीमती बिट्टू शर्मा भटेले

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

पंजी क्र. 5662-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 4652-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (1) में, खण्ड (दस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा बीस लाख रुपये होगी;".

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

Fl. No. 4652 (XXI)-B (one).-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this Department's Notification Fl. No. 4652-XXI- B(I), dated 15th October, 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated, 26th October, 2018, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 11, in sub-rule (1), for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—

"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rupees Twenty lakh.".

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st January 2016.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018

फा. क्र. 5633-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी **श्री आशुतोष कुमार झा** (मेरिट क्रमांक 23) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका **चयनाधिकार समाप्ति के साथ नियुक्ति आदेश क्रमांक** 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 2567, दिनांक 29 मई 2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

फा. क्र. 5633-2018-इक्कीस-ब (एक) राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी **श्री बिजेन्द्र कुमार धनखड** (मेरिट क्रमांक 24) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका **चयनाधिकार समाप्ति के साथ नियुक्ति आदेश क्रमांक** 3(ए)-2017-इक्कीस-ब (एक) 3517, दिनांक 2 अगस्त 2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

क्र. एफ 23-11-2004-2-पच्चीस-राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष पद पर राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 से नियुक्त डॉ. शिवराज शाह का मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2018 से स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्र. एफ-11-03-2014-सात-शा.-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-16-2018 एम एण्ड जी, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला उमरिया की नगर पंचायत का नाम, सूची के कॉलम (3) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	नगर पंचायत का वर्तमान नाम	नगर पंचायत का नया नाम
(1)	(2)	(3)
1	बिरसिंहपुर पाली	माँ बिरासिनी धाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्र. एफ-11-03-2014-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-03-2014-सात-शा.-6, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 29th November 2018

No. F-11-03-2014-VII-Sec.-6.—In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India Ministry of Home Affairs *vide* letter No. 11-16-2018 M & G dated the 28th September 2018, the State Government, hereby, change the name of Nagar Panchayat Town of District Umaria as mentioned in column (3) with immediate effect, namely:—

S. No.	Present Name of the Nagar Panchaya Town	New Name of the Nagar Panchayat Town
(1)	(2)	(3)
1	Birshingpur Pali	Maa Birasini Dham

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्रमांक–एफ–25–37/2018/10–3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7172–4578–06–दस–3 दिनांक, 29.12.2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी है।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21^{0} 49$'$ 24.339$''$ से 21^{0} 49$'$ 37.922$''$ उत्तर अंक्षाश तथा 75^{0} 42$'$ 2.745$''$ से 75^{0} 42$'$ 28.65$''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :– खरगोन
तहसील:– गोगावां

वनमण्डल:–खरगोन
वनपरिक्षेत्र :–खरगोन

क्र	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक /वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रं. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मगरिया	15/ खरगोन	मगरिया/ मगरिया	287 288, P-1199	निस्तार चरनोई/ ना–काबिल चरनोई	डी–886–4148–द स–3–2003 दि. 24.12.03 प्रकाशन दि. 16.01.04	18.927 1.214	**उत्तर – मुनारा क्रं. 01 से 3 खरगोन–खण्डवा मार्ग। पूर्व – मुनारा क्रं. 3 से 5 तक ग्राम देवलगांव की सीमा। दक्षिण – मुनारा क्रं. 5 से 8 तक ग्राम बड़गांव की सीमा । पश्चिम – मुनारा क्रं. 8 से 1 तक एवं खसरा क्रं. 286/2 की सीमा।**
		योग :–					**20.141**	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ-25-37-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-37-2018-दस-3 दिनांक 12 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 12th November 2018

No.-F-25-37/2018/10-3 :: Where as, by this department Notification No. 7172-4578-06-X-3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.This Forest Block lies between 21° 49' 24.339" to 21° 49' 37.922" North Latitude and 75° 42' 2.745" to 75° 42' 28.65" East Longitude.

SCHEDULE

District- Khargone
Tahsil- Gongawa

Forest Division- Khargone (T)
Forest Rang- Khargone

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./Forest Beat	Village /PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Magria	15/ Khargone	Magria/ Magria	**287** **288,** **P-1199**	Nistar Charnoi/ Na-kabil Charnoi	D-886-4148-X-3-2003- Date 24.12.03 Published Date 16.01.04	**18.927** **1.214**	**North - Pillar No. 1 to 3 Khargone-Khandwa road.** **East - Pillar No. 3 to 5 boundary of village Devalgaon.** **South - Pillar No. 5 to 8 boundary of village Badgaon.** **West - Pillar No. 8 to 1., boundary of Kh.No. 286/2.**
	Total (Block Area)						**20.141**	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्रमांक–एफ–25–80/2018/10–3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7205–3177–06–दस–3 दिनांक 29.12.2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी है।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22^0 03' 51.607" से 22^0 04' 7.228" उत्तर अंक्षाश तथा 75^0 35' 1.081" से 75^0 35' 27.349" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :– खरगोन
तहसील:– कसरावद

वनमण्डल:–खरगोन
वनपरिक्षेत्र :– कसरावद

क्र	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रं. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	साडली अ	17/ बांमदी	साडली / साडली अ	218/1 P–1181	ना–काबिल चरनोई	डी–884–4148 –दस–3–2003 दि. 24.12.03 प्रकाशन दिनांक 16.01.04	14.00	**उत्तर** :– मुनारा क्र. 1 से 5 तक राजस्व ग्राम गवला की दक्षिणी सीमा। **पूर्व** :– मुनारा क्र. 5 से 8 तक (गाड़ी रास्ता) खसरा क्र. 219 की सीमा **दक्षिण** :– मुनारा क्र. 8 से 22 तक खसरा क्र. 208, 218/2, एवं 269 की सीमा **पश्चिम**:– मुनारा क्र. 22 से 34 एवं 1 तक ,खसरा क्र. 209, 216 एवं 212 की सीमा ।
		योग :–					**14.00**	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ-25-80-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2018-दस-3 दिनांक 12 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 12th November 2018

No.-F-25-80/2018/10-3 :: Where as, by this department Notification No. 7205-3177-06-X-3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.This Forest Block lies between 22^0 03′ 51.607″ to 22^0 04′ 7.228″ North Latitude and 75^0 35′ 1.081″ to 75^0 35′ 27.349″ East Longitude.

SCHEDULE

District- Khargone
Tahsil- Kasrawad

Forest Division- Khargone (T)
Forest Rang- Kasrawad

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sadli-A	17/ Bamandi	Sadli /Sadli-A	218/1 P–1181	Na kabil charnoi	D--884-4148-X-3-2003-Date 24.12.03 Published Date 16.01.04	14.00	**North :-** Pillar No. 1 to 5 southern boundaries of revenue village Gawala. **East :-** Pillar No. 5 to 8 Cart Track khasra no. 219. **South :-** Pillar No. 8 to 22 boundary of khasra no. 208, 218/2 and 269. **West :-** Pillar No. 22 to 34 and 1, boundary of Kh. No. 209, 216 and 212.
	Total (Block Area)						**14.00**	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018

क्रमांक–एफ–25–52/2018/10–3 :: चूँकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 02.02.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 176–3334–06–दस–3 दिनांक 12.01.2007 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी है।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 21° 54' 15.266" से 21° 54' 34.381" उत्तर अंक्षाश तथा 76° 04' 46.612" से 76° 05' 8.970" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :– खरगोन वनमण्डलः–खरगोन

तहसीलः– भीकनगांव वनपरिक्षेत्र :– भीकनगांव

क्र	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रं. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षैत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकतासा	34/ मछलगांव	एकतासा / एकतासा	**442/2, P-1211**	निस्तार चरनोई	डी–886–4148–दस –3–2003 दि. 24.12.03 प्रकाशन दि. 16.01.04	**13.371**	**उत्तर** :– मुनारा क्र. 3 से 14 तक, खसरा क्र. 443 एवं 442/1 की सीमा । **पूर्व** :– मुनारा क्र. 14 से 19 तक ग्राम मालखेडा एवं चिरागपुरा की सीमा। **दक्षिण** :– मुनारा क्र. 19 से 2 तक, ग्राम एकतासा की सीमा। **पश्चिम** :– मुनारा क्र. 2 से 3 तक, खसरा क्र. 443 की सीमा ।
		योग :–					**13.371**	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ-25-52-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-52-2018-दस-3 दिनांक 16 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 16th November 2018

No.-F-25-52/2018/10-3 :: Where as, by this department Notification No 176-3334-06-X-3 dated 12.01.2007 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 02.02.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

This Forest Block lies between 21^0 54' 15.266" to 21^0 54' 34.381" North Latitude and 76^0 04' 46.612" to 76^0 05' 8.970" East Longitude..

SCHEDULE

District- Khargone
Tahsil- Bhikangaon

Forest Division- Khargone (T)
Forest Rang- Bhikangaon

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compart ment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ektasa	34/ Machhal gaon	Ektasa/ Ektasa	**442/2, P-1211**	Nistar Charnoi	D-886-4148-X-3-2003-Date 24.12.03 Published Date 16.01.04	**13.371**	**North** :- Pillar No. 3 to 14, boundaries of Kh. No. 443 and 442/1 . **East** :- Pillar No. 14 to 15, boundaries of village Malkheda Pillar No. 15 to 19, boundaries of Rev. Village Chiragpura. **South** :- Pillar No. 19 to 2, boundary of Village Ektasa. **West** :- Pillar No. 2 to 3 , boundary of Kh. No. 443.
	Total (Block Area)						**13.371**	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.